बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–..............................

सख्या :– 5 **नि.गो.वि. (1) 02/2026**–.............................. संवैधानिक पद पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय गृह मंत्री, बिहार, एवं पूर्व वरीष्ठ पुलिस अधिकारी तथा अन्य के विरूद्ध मैसेज के माध्यम से सोशल मिडिया पर आपत्तिजनक, अमर्यादित एवं मानहानिकारक कथन पोस्ट करने के मामले में डा॰ विनय कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 113 नि॰गो॰, दिनांक 16.03.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (i) में वर्णित प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया।

उक्त निलंबनादेश के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 24 में वर्णित प्रावधान के तहत् डा॰ कुमार के द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 30.04.2026 समर्पित किया गया। उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में डा॰ कुमार के द्वारा अंकित किया गया है कि ''उनके द्वारा माननीय/वरिष्ठ पदाधिकारियों के विरूद्ध कोई आपत्तिजनक/अमर्यादित टिप्पणी किसी सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर नहीं किया गया है''।

डा॰ कुमार के द्वारा समर्पित उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 30.04.2026 की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि जिस आरोप के लिए डा॰ कुमार निलंबित किये गये है, उस आरोप की जाँच उनके पद पर बने रहने अथवा नहीं रहने से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। उक्त आलोक में सरकार द्वारा डा॰ कुमार को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा॰ विनय कुमार, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

1. निलंबन से मुक्ति के पश्चात् डा॰ कुमार पदस्थापन की प्रतीक्षा में ***डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना*** में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
2. उक्त आरोप के लिए डा॰ कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित रहेंगी।
3. डा॰ कुमार के निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (5) में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्णय लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि.गो.वि. (1) 02/2026– ..../ पटना–15, दिनांक–............................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 02/2026– ..../ पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 02/2026– 429 (-10)18 / पटना–15, दिनांक– 18/08/26.

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध क्षेत्र, गयाजी/डा॰ विनय कुमार, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में ***डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना***/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 2/विभागीय आई॰टी॰ प्रबंधक को कोषागार पदाधिकारी, पटना को मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.8.26

सरकार के संयुक्त सचिव।

(6)